मोहनी बनाम जगदीश व अन्य

ालय

ा 332/2008 दावा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13/9/2021	पत्रावली आज दिनांक 13/9/2021 को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एड. बार एसो. जयपुर द्वारा कन्डोलेन्स की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/10/2021 को पेश हो।	
27-10-21	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय " अन्य राजकार्य में व्यस्त " है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनाक 11/1/2022 को पेश हो।	
11-1-2022	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18-2-2022 को पेश हो। (प्रतिवादी संख्या 1/2 की तरफ से श्री चन्द्रशेखर शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया साथ ही प्रा०पत्र O22 R4 व 9, CPC 151 पेश किया)	
18/2/22	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 4/3/22 को पेश हो।	
4/3/2022 [signature] Advocate 1/2	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी 1/2 द्वारा प्रार्थना [illegible] आदेश फरमाने बाबत पूर्व में [illegible] अंकित किया कि वादीनी की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है और वादी या वादी अधिवक्ता द्वारा संशोधित उनवान कायम मुकामान पेश नहीं किये है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:03:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

मोहनी बनाम जगदीश

नाम न्यायालय

केस संख्या 332/2008 दावा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		अतः वाद 90 दिन बाद अबेट हो चुका है अतः अबेट करने हेतु आदेश फरमावे। चूंकि परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत वादी की मृत्यु 90 दिवस में 12.9.2021 तक संशोधित उनवान कायम मुकामान पेश किया जाना आवश्यक था। जो पेश नहीं किया गया अतः वाद अबेट किया जाता है। अबेट के आधार पर वाद खारिज किया जाता है पत्रावली कैफियत शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:03:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner